संख्या-19/2016/वे0आ0-2-384/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2016**

विषय- राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अपर जिला बचत अधिकारी की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अपर जिला बचत अधिकारी की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:--

(1) अपर जिला बचत अधिकारी के पद पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है। अपर जिला बचत अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- यथावत बनाये रखा जाये।

(2)अपर जिला बचत अधिकारी के पदों का पुनर्गठन करते हुए दो स्तरीय ढांचा निर्धारित किया जाय। संवर्ग के कुल पदों को 03:02 में विभाजित करते हुये अपर जिला बचत अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/- में तथा वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- में रखा जाये।

(3) उक्त व्यवस्था के अनुसार अपर जिला बचत अधिकारी के कुल 79 पदों में से अपर जिला बचत अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-) के 47 पद तथा वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-) के 32 पद निर्धारित होंगे।

(4) उक्त व्यवस्था के उपरान्त 05 वर्ष की सेवा वाले अपर जिला बचत अधिकारी में से वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी के पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति तथा जिला बचत अधिकारी के पदोन्नति के कोटे के अन्तर्गत 30 प्रतिशत पदों पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/-) के पदों से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(5) उक्त पुनर्गठन की व्यवस्था विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी की जाय। उक्त पुनर्गठन के अनुसार व्यवस्था का समावेश करते हुए विभागीय सेवा नियमावली को यथाशीघ्र संशोधित किया जाय।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-19/2016/वे0आ0-2-384(1)/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।